न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2096-II/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 05.07.2014 पारित द्वारा अपर कलेक्टर सीहोर प्रकरण क्रमांक 06/स्व.निग./2013–14

(1) आनन्द कुशवाह पुत्र स्व. श्री गोपाल

(2) सदानंद उर्फ सानंद कुशवाह पुत्र श्री गोपाल
निवासी नेहरू पार्क के पास राजा पार्क, सीहोर (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन,
द्वारा कलेक्टर जिला सीहोर,

..... अनावेदक

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक आवेदकगण

श्रीमती नीना पाण्डे, पेनल अभिभाषक अनावेदक शासन

:: आदेश ::

(आज दिनांक 6 अगस्त 2014 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर सीहोर के प्रकरण क्रमांक 06/स्व.निग./2013–14 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनुविभागीय अधिकारी सीहोर ने अपने पत्र क्रमांक 683/रीडर–2/2014 दिनांकित 06.03.2014 द्वारा आम आदमी

पार्टी जिला सीहोर के सयोजक हिद्वेश ने शिकायत की थी। कि नेहरू पार्क 2.61 एकड खसरा क्रमांक 465/4, 467 एवं नजूलशीट क्रमांक 109 भूखण्ड क्रमांक 1/2 क्षेत्रफल 1925 वर्गमीटर दिनांक 22.07.1975 को नजूल अधिकारी सीहोर के प्रकरण क्रमांक 225/अ–1 /74–75 में पारित आदेश जिसके द्वारा स्व. सूरजबाई को स्थायी पट्टेदार घोषित किया गया है। उपरोक्त प्रवृष्टियॉ राजस्व अभिलेखों में दर्ज की गयी है। संदेहजनक है। इसलिये अपर कलेक्टर सीहोर ने उपरोक्त शिकायत को प्रकरण क्रमांक 06/स्व.निग./2013–14 मध्य प्रदेश शासन विरूद्व आंनद दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गयी। जिसमें आवेदकगण को सूचना पत्र जारी किया गया। जिसका जबाव आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा निवेदन किया कि नजूलअधिकारी सीहोर द्वारा सार्वजनिक उद्घोषणा जारी कर नजूलशीट क्रमांक 109 के भूखण्ड क्रमांक क्षेत्रफल 7597.50 वर्ग मीटर के कब्जेदारों से आपत्तियॉ आमंत्रित की थी। तथा न्यायालय तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त किये एवं उसमें उक्त स्थान पर बाग श्रीमती सूरज बाई विधवा बाबूलाल का दिनांक 01.09.1933 से पूर्व वैधानिक स्वत्वधारी एवं अधिपत्य धारी प्रतिवेदित किया। तहसीलदार के प्रतिवदेन से सहमत होकर नजूलअधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 22.07.1975 को आदेश पारित कर श्रीमती सूरजबाई बेवा बाबूलाल माली को शीट क्रमांक 109 के भूखण्ड क्रमांक 1/2 क्षेत्रफल 1925 वर्गमीटर मकान एवं खुली भूमि पर दिनांक 08.11.33 के पूर्व का कब्जा पाते हुये भूखण्ड का नजूल पट्टेदार घोषित किया गया। सूरज बाई के देहांत के उपरान्त फोती नामान्तरण में उनके उत्तराधिकारी आवेदकगण के नाम नामान्तरण किया गया। जिसे अपर कलेक्टर सीहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.2014 से निरस्त कर दिया गया। अपर कलेक्टर सीहोर के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3– प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा मौखिक तर्क प्रस्तुत किये गये, जिसमें बताया कि वर्ष 1975 मे श्रीमती सूरजबाई विधवा श्री बाबूलाल माली को स्थायी पट्टा तत्कालीन नजूलअधिकारी द्वारा विधिनुसार प्रदान किया गया था, तब से

सूरजबाई एवं उसके उत्तराधिकारी भूमि पर काबिज होकर कास्त कर रहे है। ऐसी स्थिति में 39 वर्षो के पश्चात् प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लिया जाकर पट्टा खारिज नही किया जा सकता। इस संबंध में 1996 आर.एन. 286 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया गया। आवेदकगण की ओर से अपने तर्क में यह बताया है कि पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग अधिक समय पश्चात् नहीं किया जा सकता है। इस संबंध मे ए.आई.आर. 1969 एस.सी 1297, 2011 आर.एन. 235 एवं 1990 आर.एन 77, 2011 आर.एन. 426, 1994 आर.एन. 392 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये। अतः में निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

4— अनावेदक की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा मौखिक तर्को में यह बताया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिवत जांच कर आदेश पारित किया है, अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाकर आवेदकगण की वर्तमान निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5— प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अभिभाषक के तर्कों पर मनन किया गया एवं विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्य अध्ययन किया गया। प्रकरण में अवलोकन से स्पष्ट है कि नजूलअधिकारी सीहोर द्वारा सार्वजनिक उद्घोषणा जारी कर आपत्तियॉ आमंत्रित की गयी थी। तत्पश्चात् तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर श्रीमती सूरजबाई विधवा बाबूलाल को दिनांक 01.09.1933 से काबिज मानकर स्थायी पट्टेदार का आदेश दिनांक 22.07.1975 को जारी किया गया था। जिसके विरूद्व किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई अपील अथवा पुनरीक्षण प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिये उक्त आदेश अपने स्थान पर अंतिम हो गया है ऐसे अंतिम आदेश को शिकायत के आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है। अपर कलेक्टर सीहोर द्वारा प्रकरण को स्वमेव निगरानी में अधिक समय बाद लिया गया है। जबकि न्यायदृष्टांत 1994 आर. एन. 392 उच्च न्यायालय, 2010 आर.एन. 273 उच्च न्यायालय, 2011 आर.एन. 426, 2010 आर.एन. 409 उच्च न्यायालय पूर्णपीठ में उल्लेख किया है कि पुनरीक्षण

प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग–आदेश की अवैधता अनौचित्यता तथा कार्यवाहियों की अनियमितता की जानकारी के दिनांक से समुचित कालावधि के भीतर होना चाहिये – 180 दिवस के भीतर प्रयोग कि जानी चाहिये। इसलिये उपरोक्त न्यायदृष्टांत को नजर अंदाजकर जो आदेश अपर कलेक्टर सीहोर द्वारा पारित किया गया है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर सीहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.2014 निरस्त किया जाकर नजूलअधिकारी सीहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.07.1975 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर